

फर्द अहकाम
नाम न्यायालय:- उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बस्सी

बनाम कैलाश चन्द

प्रकरण संख्या

उत्तम कुमार
2024/393 (न)

आज्ञा विस्तृत रूप से

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
3/9/28		पत्रावली पेश। प्राचीन अधिवक्ता की प्रार्थना पर 212 पट बहम हुनी जाकर वाल्मी भोदेश दिनांक 19/7/25 को पेश है।
19/9/28		पत्रावली पेश। प्राचीन अधिवक्ता की बर्क में 11 प्रा0 पत्र पट बहम हुनी जा चुकी है। पत्रावली व आवश्यक दस्तावेजों का प्रकोष्ठ एवं संबंधित प्राचीन काय उक्त प्रार्थना पर पट की तमी बहम पट मनन करने के पश्चात वादग्रस्त आराजी ख-नं. 2328 रकबा 1.0800 है वही ग्राम बस्सी तह बस्सी जिला जयपुर के माखण्ड में न्यायालय द्वारा काय दिनांक 16/10/24 को जारी धन्तरिम स्थगन भोदेश को वाद के निर्णय तक कन्फर्म किया जाकर अप्रार्थितियों को वादग्रस्त भूति पट मौके एवं टिमाई की पचासिदि बनाए रखने हेतु मूलवाद के निर्णय तक पाबंद किया जाता है।

अतः

अप्रार्थितों को आपकी के वाद

फर्द अहकाम
नाम न्यायालय:- उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बस्सी

बनाम

विशेष दिनांक आज्ञा या कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

के निर्णय तक मौके एवं टिमाई की पचासिदि बनाए रखें। यह निर्णय सुर्के न्यायालय के द्वारा सुनाया गया।

पत्रावली दर्ज नम्बर से नम धेनट दफ्तर दाखिल है।

उपखण्ड अधिकारी
बस्सी बिल-जयपुर